

मछुआरा कल्याण कार्यक्रम-सेविंग कम रीलिफ योजना

1	योजना का नाम	मछुआरा कल्याण कार्यक्रम-सेविंग कम रीलिफ योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	इस योजना के तहत मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों से मत्स्याखेट अवधि के दौरान रु0 600/- (एक से आठ माह तक 70/- रु0 प्रति माह तथा नवे माह तक एकत्रित किये जाते है। रु0 1200/- राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है। कुल राशि को मत्स्याखेट निषेध अवधि के दौरान तीन बराबर किश्तों में सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि के अनुपात में उपलब्ध कराई जाती है।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2002-03
4	लाभान्वित वर्ग	सक्रिय मछुआरे
5	पात्रता	मत्स्य सहकारी समिति के सदस्य जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। तथा आयु 60 वर्ष से कम हो
6	देय सुविधाएँ	योजनान्तर्गत एकत्रित राशि रु0 1800/- को

		निषेध ऋतु के समय 600/- रु0 प्रति माह के हिसाब से तीन माह तक लाभान्वित व्यक्ति को उपलब्ध करवाये जाते हैं।
7	आवेदन का तरीका	संबंधित मत्स्य सहकारी समिति के माध्यम से जिला मत्स्य अधिकारी को प्रति माह नियमित राशि जमा करावें।
8	आवेदन कहां किया जावें	इच्छुक मत्स्य सहकारी समितियाँ योजना हेतु सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को आवेदन करें।
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएँ	योजना में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की सूची एवं समिति के बैंक खाते की संख्या
10	सम्पर्क सूत्र	जिला मत्स्य अधिकारी